परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.4; पृष्ठ 2)

राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज के संबंध में संगठनात्मक संरचना

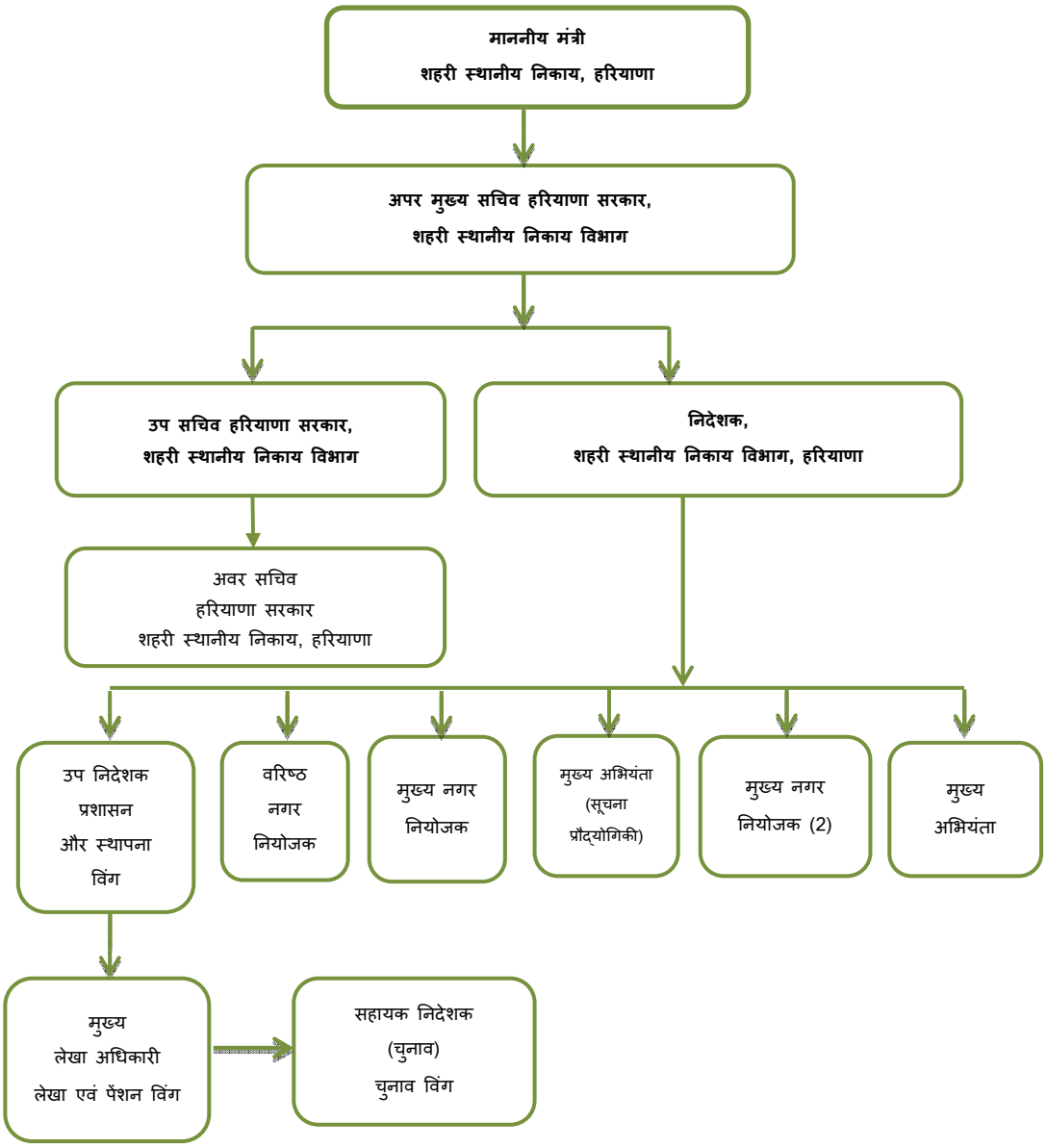

स्रोत: निदेशालय, शहरी स्थानीय निकायों की वेबसाइट।

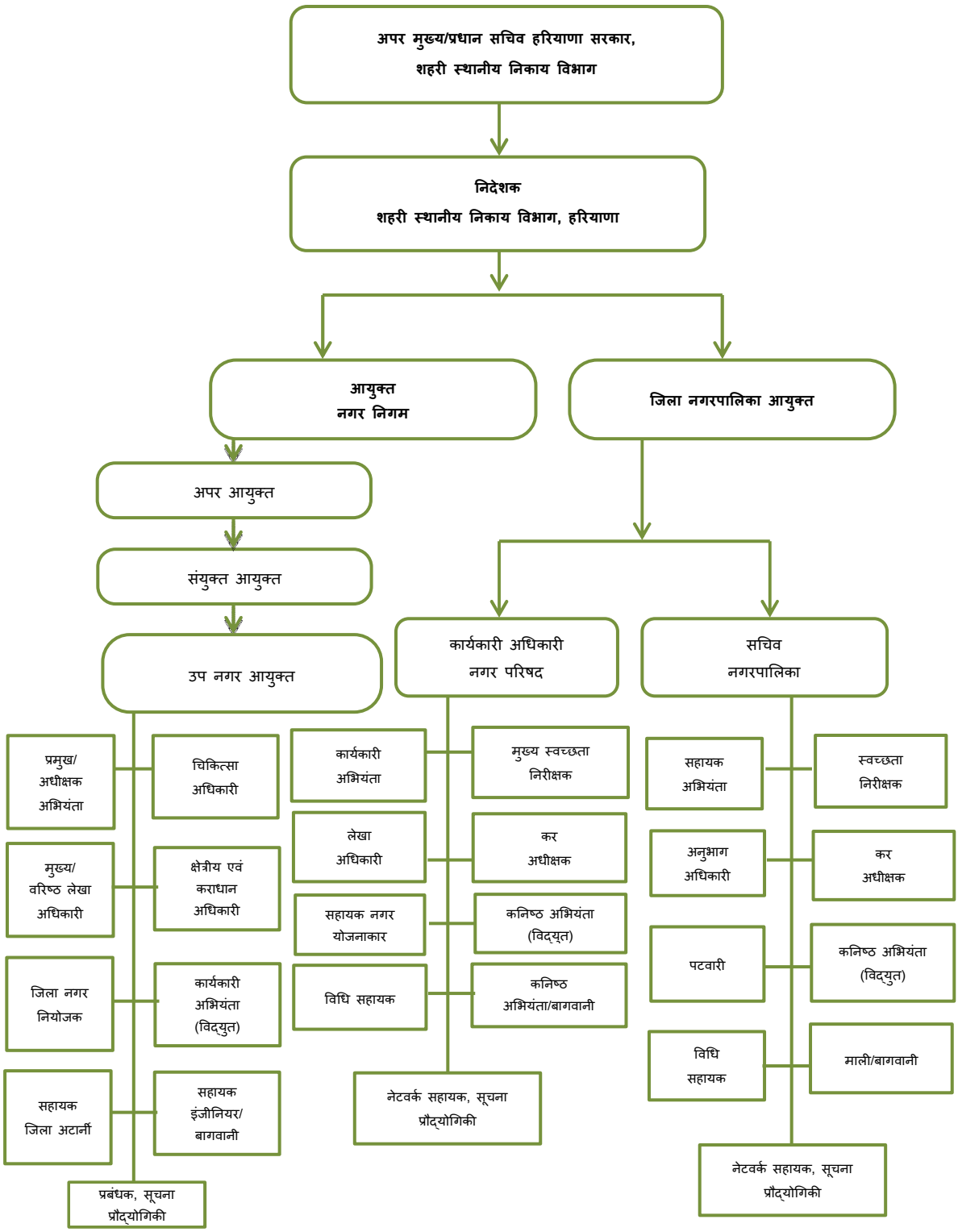

स्रोत: 2018 में हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित नगरपालिकाओं में संस्वीकृत संख्या के लिए शाखा-वार मानक।

परिशिष्ट 1.2
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.4; पृष्ठ 2)
पैरास्टेटल्स और उनके कार्यों का विवरण

क्र.सं.	पैरास्टेटल्स	कार्य
1	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	जनवरी 1977 में गठित। इसके मुख्य कार्य हैं: • अविकसित भूमि का अधिग्रहण करके शहरी क्षेत्रों (नगरपालिका क्षेत्रों सहित) के विकास को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना। • अविकसित भूमि पर भौतिक अवसंरचना विकास कार्य जैसे सड़कें एवं पुल, जलापूर्ति एवं सीवरेज प्रणाली, वर्षा जल निकासी व्यवस्था एवं बागवानी कार्य करना तथा विकसित भूमि का आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए क्षेत्र की विकास योजना के अनुरूप जोनल/सेक्टर योजना बनाकर निस्तारण करना।
2	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण	गुरुग्राम महानगर क्षेत्र के विकास के लिए दिसंबर 2017 में स्थापित। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण का अधिकार शहरी सुविधाओं, गतिशीलता प्रबंधन, शहरी पर्यावरण के मजबूत प्रबंधन सहित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एकीकृत और समन्वित योजनाएं तैयार करने के लिए है और स्थानीय अधिकारियों, केंद्र सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों के समन्वय में महानगरीय क्षेत्र के लिए सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए उपाय करना है और नियोजन उद्देश्यों के लिए एक आधुनिक भू-स्थानिक-आधारित प्रणाली स्थापित करना है।
3	फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण	फरीदाबाद महानगर क्षेत्र के विकास के लिए फरवरी, 2019 में स्थापित, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का अधिकार शहरी सुविधाओं, गतिशीलता प्रबंधन, शहरी पर्यावरण के मजबूत प्रबंधन सहित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एकीकृत और समन्वित योजना तैयार करने के लिए और स्थानीय प्राधिकारियों, केंद्र सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय में महानगरीय क्षेत्र के लिए सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए उपाय करना है और नियोजन उद्देश्यों के लिए एक आधुनिक भू-स्थानिक-आधारित प्रणाली स्थापित करना है।
4	कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड	अगस्त 1968 में स्थापित । व्यापक कार्य जिनके लिए बोर्ड का गठन किया गया था, वे निम्नलिखित हैं: • कुरुक्षेत्र में विभिन्न तीर्थों के समग्र व्यापक विकास का कार्य शुरू करना, जिसमें इसके भूनिर्माण, ऐतिहासिक इमारत और टैंकों का नवीनीकरण शामिल है। • तीर्थयात्रियों के लिए शेड और झोपड़ी आदि का प्रावधान। • तीर्थयात्रियों के लिए नागरिक सुविधाओं का प्रावधान। • पर्यटकों के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था का प्रावधान। • सभी पवित्र स्थानों पर वर्ष भर साफ-सफाई का रखरखाव।

क्र.सं.	पैरास्टेटल्स	कार्य
5	हरियाणा स्लम क्लीयरेंस बोर्ड	अप्रैल, 1990 में स्लम क्षेत्रों के विकास या पुनर्विकास, हरियाणा राज्य (नगरपालिका क्षेत्रों सहित) में झुग्गी निवासियों के पुनर्वास के उद्देश्य से गठित किया गया। राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा स्लम क्लीयरेंस बोर्ड को नोडल एजेंसी के रूप में भी घोषित किया गया है (फरवरी 2015)।
6	हरियाणा शहरी बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड	अप्रैल, 2002 में सभी नगरपालिकाओं में शहरी बुनियादी ढांचे के प्रावधान और उन्नयन, शहरी आयोजना के उन्नयन और आधुनिकीकरण और इसके कार्यान्वयन तकनीकों, शहरी प्रबंधन में प्रशिक्षण सुविधाओं और नगरपालिकाओं और शहरी विकास विभाग के मानव संसाधन विकास के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं के आयोजन हेतु संसाधन जुटाने के लिए गठित और शहरी प्रबंधन पर सम्मेलन, नगरपालिकाओं की अनुमोदित योजनाओं/परियोजनाओं का समन्वय, योजना एवं कार्यान्वयन और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए गठित किया गया। जुलाई 2015 में हरियाणा शहरी बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड 'पुनरुद्धार और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन' के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में ।
7	राज्य शहरी विकास प्राधिकरण हरियाणा	अक्टूबर 1991 में गठित और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कार्यान्वयन के लिए मार्च, 2014 में फिर से गठित किया गया, जो एक केंद्र प्रायोजित मिशन है। इसे प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन, की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी घोषित (जुलाई 2015) किया गया था।

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3; पृष्ठ 4)

नमूना-जांच के लिए चयनित शहरी स्थानीय निकायों की सूची

शहरी स्थानीय निकाय का प्रकार	क्र.स.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम
नगर निगम	1	पंचकुला
	2	अंबाला
	3	करनाल
	4	यमुनानगर
नगर परिषद	5	कैथल
	6	थानेसर
नगरपालिका	7	नारायणगढ़
	8	तरावड़ी
	9	असंध
	10	घरौंडा
	11	रादौर
	12	पेहोवा
	13	पुंडरी
	14	चीका
	15	शाहबाद

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1; पृष्ठ 15)

नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति

	कार्य संख्या और विवरण	पंचकुला	अंबाला	करनाल	यमुनानगर	कैथल	थानेसर	नारायणगढ़	तरावड़ी	असंध	घरौंडा	रादौर	पेहोवा	पुंडरी	चीका	शाहबाद
1	नगर आयोजना सहित शहरी आयोजना															
2	भू-उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन															
3	आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आयोजना															
4	सड़कें एवं पुल															
5	घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयाजनों के लिए जल आपूर्ति															
6	सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन															
7	अग्निशमन सेवाएं															
8	शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना															
9	दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना															
10	स्लम सुधार और उन्नयन															
11	शहरी गरीबी उन्मूलन															
12	शहरी सुविधाओं और पार्कों, उद्यानों, खेल के मैदानों जैसी सुविधाओं का प्रावधान															
13	सांस्कृतिक, शैक्षिक और कलात्मक पहलुओं को बढ़ावा देना															
14	कब्र और कब्रिस्तान; श्मशान, श्मशान घाट और विद्युत शवदाह गृह															
15	पशु तालाबों, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम															
16	जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े															
17	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुविधाएं															
18	बूचड़खानों और चर्मशोधन कारखानों का विनियमन															

सुपुर्दगी: जहां कार्य से संबंधित सभी उप गतिविधियों को सुपुर्द किया गया

आंशिक रूप से सुपुर्द: जहां कार्य से संबंधित सभी उप गतिविधियों में से कुछ गतिविधियों को सुपुर्द किया गया

सुपुर्द नहीं किया गया: जहां कार्य से संबंधित किसी भी उप-गतिविधि को सुपुर्द नहीं किया गया

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.2.1.5; पृष्ठ 19)

2015-20 के दौरान नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित बैठकों की संख्या और बैठक में कमी को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकायों का नाम	अपेक्षित बैठकें*	आयोजित बैठकें	बैठकों में कमी	बैठकों की कमी
		(संख्या में)			प्रतिशत में
1	नगर निगम, पंचकुला	39	5	34	87.18
2	नगर निगम, अंबाला	39	9	30	76.92
3	नगर निगम, करनाल	55	21	34	61.82
4	नगर निगम, यमुनानगर	55	18	37	67.27
5	नगर परिषद, कैथल	56	20	36	64.29
6	नगर परिषद, थानेसर	49	16	33	67.35
7	नगरपालिका, नारायणगढ़	47	16	31	65.96
8	नगरपालिका, तरावड़ी	47	20	27	57.45
9	नगरपालिका, असंध	47	15	32	68.09
10	नगरपालिका, घरौंडा	47	12	35	74.47
11	नगरपालिका, रादौर	31	14	17	54.84
12	नगरपालिका, पेहोवा	47	20	27	57.45
13	नगरपालिका, पुंडरी	57	16	41	71.93
14	नगरपालिका, चीका	47	12	35	74.47
15	नगरपालिका, शाहबाद	47	12	35	74.47
		710	**226**	**484**	**68.17**

*** उस अवधि को छोड़कर जब सदन भंग किया गया था**

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.2.1.6; पृष्ठ 19)

अप्रैल 2015 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान गठित विषय समितियों और नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित बैठकों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	विषय समिति का नाम	नगर निगम, पंचकुला		नगर निगम, अंबाला		नगर निगम, यमुनानगर	
		समिति गठित की गई है या नहीं	यदि हाँ, तो आयोजित बैठकों की संख्या	समिति गठित की गई है या नहीं	यदि हाँ, तो आयोजित बैठकों की संख्या	समिति गठित की गई है या नहीं	यदि हाँ, तो आयोजित बैठकों की संख्या
1	वित्त और अनुबंध समिति	**हां**	-	**हां**	1	**हां**	-
2	लेखा और लेखापरीक्षा समिति	**नहीं**	-	**नहीं**	-	**नहीं**	**-**
3	भवन विनियमन समिति	**हां**	1	**हां**	-	**हां**	-
4	जल आपूर्ति, ड्रेनेज और निपटान समिति	**हां**	2	**हां**	-	**नहीं**	**-**
5	विभिन्न कर एवं शुल्क समिति का आकलन	**हां**	1	**हां**	1	**हां**	-
6	अग्नि समिति का विस्तार एवं निवारण	**नहीं**	-	**नहीं**	-	**नहीं**	**-**
7	शिक्षा और समाज कल्याण समिति	**नहीं**	-	**हां**	1	**नहीं**	**-**
8	योजना सुधार और संसाधन समिति	**नहीं**	-	**नहीं**	-	**नहीं**	**-**
9	सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और जन-स्वास्थ्य समिति	**नहीं**	-	**हां**	1	**हां**	-
10	ग्रामीण एवं मलिन बस्ती विकास समिति	**नहीं**	-	**हां**	-	**नहीं**	**-**
11	मंडी, बूचड़खाना और व्यापार समिति	**नहीं**	-	**नहीं**	-	**नहीं**	**-**
12	सतर्कता समिति	**नहीं**	-	**नहीं**	1	**नहीं**	**-**
13	कार्यान्वयन समिति	**नहीं**	-	**हां**	-	**नहीं**	**-**
14	निगम द्वारा इस प्रकार गठित कोई अन्य समिति	**नहीं**	-	**नहीं**	**-**	**हां**	-
	सभी विषय समितियों की बैठकों की कुल संख्या	**-**	**4**	**-**	**5**	**-**	**-**

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.2.5.1; पृष्ठ 23)

राज्य वित्त आयोग के गठन और सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी को दर्शाने वाला विवरण

राज्य वित्त आयोग	संविधान के अनुसार गठित होने के लिए	पिछले राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में गठित किया जाना	वास्तव में गठित	पिछले राज्य वित्त आयोग के संबंध में गठन में देरी (महीनों में)	जमा करने का महीना	स्वीकृति का महीना	स्वीकृतियों में विलम्ब# (महीनों में)	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आवृत अवधि	अवधि जिसके लिए हस्तांतरण पर सिफारिशें स्वीकार की गईं
1	मई 1994 तक@	लागू नहीं	मई 1994	-	मार्च 1997	सितंबर 2000	35	1997-98 से 2000-01	2000-01
2	1999-2000	मई 1999	सितंबर 2000	15	सितंबर 2004	दिसंबर 2005	8	2001-02 से 2005-06	2005-06
3	2004-05	सितंबर 2005	दिसंबर 2005	2	फ़रवरी 2008	अगस्त 2008	-	2006-07 से 2010-11	2006-07 से 2010-11
4	2009-10	दिसंबर 2010	अप्रैल 2010	-	जून 2014	मार्च 2015	2	2011-12 से 2015-16	-
5	2014-15	अप्रैल 2015	मई 2016	12	सितंबर 2017	सितंबर 2018	5	2016-17 से 2020-21	2018-19 से 2020-21

@ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के एक साल के भीतर

 # राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित रिपोर्ट की स्वीकृति के लिए 6 महीने की अवधि को समायोजित करने के बाद

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.2.5.2; पृष्ठ 26)

5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की सूची जिन्हें अभी लागू किया जाना है

क्र.सं.	सिफारिश
1	राज्य वित्त आयोग के लाभार्थियों की सूची में अंबाला छावनी विचार करने के लिए।
2	निदेशालय में विभिन्न प्रशासनिक कार्यक्षेत्रों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके इसे सौंपी गई विभिन्न कार्यात्मक जिम्मेदारियों के लिए मानव संसाधन आवश्यकताओं के वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के निदेशालय को मजबूत करना।
3	राज्य स्तर पर 'मानक संचालन प्रक्रिया' (नये कर या टोल या शुल्क का उद्ग्रहण या संग्रहण कैसे शुरू किया जाए) तैयार की जानी चाहिए और सभी शहरी स्थानीय निकायों में परिचालित की जानी चाहिए ताकि इस तरह की पहल करने के इच्छुक शहरी स्थानीय निकायों को यह स्पष्ट हो कि क्या अनुमत है, दर कैसे निर्धारित की जा सकती है और प्रक्रिया क्या है।
4	करों के संग्रह के लिए एक स्पष्ट 'मानक संचालन प्रक्रिया सभी नगरपालिकाओं को परिचालित की जानी चाहिए और अपनाने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को निर्धारित किया जाना चाहिए, और नगरपालिकाओं को उस 'मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
5	लाभार्थियों से अलग-अलग उपयोगकर्ता प्रभारों के माध्यम से आपूर्ति की लागत की वसूली के उपायों सहित भारत सरकार की जल नीति 2013 को इसके संदर्भ में अनुकूलित करना। उपयोगकर्ता शुल्कों को न्यूनतम शर्तों में संरचित नहीं किया जाना चाहिए, जहां वास्तविक मूल्य समय के साथ कम हो जाता है। एक सूत्र आधारित उपयोगकर्ता प्रभार, जो वास्तविक मूल्य को संरक्षित करने में मदद करता है, पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
6	राजस्व में वृद्धि पर अनुसंधान एक सतत अभ्यास होना चाहिए जहां राजस्व अर्जित करने के नए तरीकों के लिए संभावना का पता लगाया जा सके और मौजूदा तरीकों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। एक पेशेवर संस्थान का सुझाव है कि स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान इस संबंध में सहायक हो सकता है।
7	हरियाणा में सभी शहरी स्थानीय निकाय में एक समान कोडिंग के साथ लेखांकन का एक समान रूप अपनाया और उपयोग किया जाना चाहिए।
8	राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के लिए शहरी स्थानीय निकाय की संपत्ति को दर्ज करने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित एप्लीकेशन 'राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका' को अपनाने हेतु।
9	राज्य स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्दिष्ट प्रारूपों में विवरण के रूप में भरे जाने तथा सूचना प्रबंधन प्रणाली के रूप में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के उपयुक्त अधिकारी को प्रेषित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित किया जाए और बड़े विचलन एवं जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया जाए ताकि तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।
10	रिपोर्टिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा उत्तरदायित्व घटक सहित ऐसी भूमिकाओं के लिए शहरी स्थानीय निकाय और मानक परिचालन कार्यविधि में कार्य स्थितियों के लिए भूमिका मानचित्रण किया जा सकता है और जानकारी को एक परिभाषित एवं ज्ञात माध्यम पर रखा जा सकता है जिस तक उचित जांच और संतुलन के साथ आसानी से पहुंचा जा सके।
11	शहरी स्थानीय निकायों का बजट दस्तावेज एक समान प्रारूप पर आधारित होना चाहिए। इसमें कार्य के लिए जिम्मेदार व्यय और राजस्व का कार्य-वार अनुमान शामिल होना चाहिए। साथ ही, बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्ति के बीच अंतर के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.2; पृष्ठ 40)

2015-20 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों में लेखाकार के पद पर भर्ती के लिए घटनाक्रम का विवरण

क्र.सं.	घटनाक्रम का विवरण	तिथि	समय लिया	कुल समय लगा
1.	शहरी स्थानीय निकाय में रिक्तियों के संबंध में जानकारी एकत्र करने के बाद शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय में मूल्यांकन की आवश्यकता	19.12.2011		
2.	शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन अयोग को 39 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव अग्रेषित करना	18.01.2012	राज्य सरकार द्वारा, 1,520 दिन	2,471 दिन
3.	हरियाणा कर्मचारी चयन अयोग ने आगामी आदेश तक भर्ती प्रक्रिया को रोकने के राज्य सरकार के निर्देश (आदेश दिनांक 28.10.2014) पर प्रस्ताव वापस कर दिया	24.11.2014		
4.	राज्य सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन अयोग को संशोधित प्रस्ताव भेजने का निर्देश जारी किया	29.04.2015		
5.	शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन अयोग को 40 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव अग्रेषित करना	02.07.2015		
6.	हरियाणा कर्मचारी चयन अयोग से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रश्नों पर विचार करने के बाद शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन अयोग को 35 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव अग्रेषित करना	18.03.2016		
7.	विज्ञापन संख्या 06/2016 के माध्यम से हरियाणा कर्मचारी चयन अयोग द्वारा भर्ती का विज्ञापन	02.12.2016	हरियाणा कर्मचारी चयन अयोग द्वारा, 930 दिन	
8.	शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को चयन के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन अयोग से 35 उम्मीदवारों की सूची प्राप्त हुई	08.10.2018		
9.	शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने दस्तावेज सत्यापन के बाद 32 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया	29.10.2018		

नोट: दिनों की संख्या की गणना एक माह = 30 दिन और एक वर्ष = 365 दिनों के आधार पर की गई है।

2015-20 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजनों का विवरण

क्र.सं.	घटनाक्रम का विवरण	तिथि	समय लिया	कुल समय लगा
1.	राज्य सरकार ने मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार कार्यालय में सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवा-I शाखा) को प्रस्ताव भेजने का निर्देश जारी किया	21.06.2013		
2.	निजी सचिव., शहरी स्थानीय निकाय द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रस्ताव अग्रेषित करना	21.11.2013	राज्य सरकार द्वारा, 1,720 दिन	1,905 दिन
3.	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा भर्ती के लिए विज्ञापन	22.02.2014		
4.	सचिव, हरियाणा सरकार को संशोधित प्रस्ताव भेजने का निर्देश जारी किया क्योंकि अधिकतम आयु 40 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष करने के कारण विज्ञापन दिनांक 22.02.2014 पुन: विज्ञापित किया जाना था।	06.07.2015		
5.	आवश्यकता मूल्यांकन के बाद शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को 130 पदों की भर्ती का प्रस्ताव अग्रेषित करना	29.12.2016		
6.	राज्य सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन अयोग को संशोधित प्रस्ताव भेजने का निर्देश जारी किया और पूर्व में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को वापस ले लिया गया माना गया	22.12.2017		
7.	शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त 967 में से आवश्यकता मूल्यांकन के बाद शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन अयोग को 822 पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव अग्रेषित करना (145 कम भेजने का कारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है)	11.08.2018		
7.	विज्ञापन संख्या 04/2018 के माध्यम से हरियाणा कर्मचारी चयन अयोग द्वारा भर्ती के लिए विज्ञापन	26.08.2018	हरियाणा कर्मचारी चयन अयोग द्वारा, 161 दिन	
8.	शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को चयन के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन अयोग से 822 उम्मीदवारों की सूची मिली	22.01.2019		
9.	दस्तावेज़ सत्यापन के बाद उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय को आवंटन करता है	23.01.2019		
10.	शहरी स्थानीय निकाय ने दस्तावेज सत्यापन के बाद उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया	11.02.2019		

नोट:: दिनों की संख्या की गणना एक माह = 30 दिन और एक वर्ष = 365 दिन को ध्यान में रखते हुए की गई है

परिशिष्ट 5.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.2.2; पृष्ठ 43)

राज्य में शहरी स्थानीय निकायों में विशिष्ट जनशक्ति को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े कोष्ठक में प्रतिशत में)

पद	10 निगम			19 परिषदें			53 नगरपालिकाएं		
	शहरी स्थानीय निकाय के लिए मानक	मानक के संदर्भ में संस्वीकृत संख्या में कमी	मानक के संदर्भ में रिक्ति	शहरी स्थानीय निकाय के लिए मानक	मानक के संदर्भ में संस्वीकृत संख्या में कमी	संस्वीकृत संख्या के संदर्भ में रिक्ति	शहरी स्थानीय निकाय के लिए मानक	मानक के संदर्भ में स्वीकृत संख्या में कमी	स्वीकृत संख्या के संदर्भ में रिक्ति
कराधान									
क्षेत्रीय कराधान अधिकारी	3	5 (17)	19 (76)	-	-	-	-	-	-
कर अधीक्षक	2	4 (20)	16 (100)	1	8 (42)	8 (73)	1	52 (98)	1 (100)
कर निरीक्षक	4	+36 (90)	31 (41)	2	31 (82)	7 (100)	1	51 (96)	2 (100)
अभियांत्रिकी									
अधीक्षक अभियंता	1	0	2 (20)	0	0	0	0	0	0
कार्यकारी अभियंता	3	1 (3)	+2(6)	1	0	6 (32)	0	0	0
सहायक अभियंता	6	0	5 (8)	2	2 (5)	18 (50)	1	3 (6)	32 (64)
कनिष्ठ अभियंता	8	38 (47)	53 (45)	4	3 (4)	34 (47)	2	52 (49)	9 (17)
स्वच्छता									
मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	2	+4 (20)	15 (62)	1	5 (26)	10 (71)	0	0	0
स्वच्छता इंस्पेक्टर	6	23 (38)	15 (41)	2	14 (37)	6 (25)	1	33 (62)	4 (20)
सहायक स्वच्छता निरीक्षक	10	43 (43)	38 (67)	6	114 (100)	0	2	106 (100)	0
जन-स्वास्थय									
चिकित्सा अधिकारी	1	+1 (10)	9 (82)	0	0	0	0	0	0
पशु चिकित्सक सर्जन	1	2 (20)	8 (100)	1	19 (100)	0	0	0	0
सहायक पशु चिकित्सक सर्जन	2	13 (65)	7 (100)	2	38 (100)	0	0	0	0
लेखांकन									
वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1	2 (20)	2 (25)	0	0	0	0	0	0
लेखा अधिकारी	0	+ 8 (0)	2 (25)	1	9 (47)	5 (50)	0	0	0
अनुभाग अधिकारी	2	+3 (15)	6 (26)	2	32 (84)	6 (100)	1	53 (100)	0
लेखाकार	2	+17 (85)	31 (84)	2	9 (24)	12 (41)	1	1 (2)	25 (48)

परिशिष्ट 5.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.2.3; पृष्ठ 43)

जनवरी 2020 तक नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में मानव संसाधन की स्थिति

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पद	रिक्ति की स्थिति (प्रतिशत में)	आउटसोर्स स्टाफ	प्रति 1000 लोगों पर कर्मचारियों की संख्या
नगर निगम						
1	पंचकुला	1,021	955	93.54	917	1.99
2	अंबाला	816	752	92.16	121	0.61
3	करनाल	335	73	21.79	18	0.61
4	यमुना नगर	306	115	37.58	18	0.29
नगर परिषद						
5	कैथल	74	27	36.49	13	0.32
6	थानेसर	227	108	47.58	18	0.68
नगरपालिका						
7	नारायणगढ़	15	9	60.00	2	0.27
8	शाहबाद	107	60	56.07	74	2.19
9	पेहोवा	23	10	43.48	4	0.34
10	तरावड़ी	79	51	64.56	26	1.61
11	रादौर	17	6	35.29	4	0.72
12	घरौंडा	113	90	79.65	22	0.92
13	असंध	81	65	80.25	50	1.88
14	चीका	56	27	48.21	49	1.55
15	पुंडरी	38	26	68.42	13	1.02
कुल		**3,308**	**2,374**	**71.77**	**1,349**	**0.84**

परिशिष्ट 6.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.1.3; पृष्ठ 54)

2015-20 के दौरान नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में राजस्व स्रोतों, उदग्रहण की स्थिति और वैधानिक प्रावधान का विवरण

क्र. सं.	राजस्व स्रोत	नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में उदग्रहण की स्थिति	क्या शहरी स्थानीय निकाय को स्वतंत्र रूप से कर/शुल्क/ प्रभार की दर तय करने का अधिकार है (हां या नहीं)	अधिनियम और नियमों के अनुसार प्रावधान		
				हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973	राज्य सरकार के आदेश और परिपत्र का संदर्भ
कर-राजस्व						
1	संपत्ति कर	उद्गृहीत	नहीं	धारा-87 (1)	(धारा 84 के साथ पठित) धारा-69 (ए)	85/ एच.ए.16/1994/S87/2013 और 86/एच.ए.24/ 1973/ एस69/2013 दिनांक 11.10.2013
2	अग्नि कर/अग्नि घटना प्रभार	उद्गृहीत	नहीं	धारा-87 (2एफ)	धारा-70 (1) (viiiए)	धारा-35, हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009
3	मनोरंजन शुल्क	अनुद्गृहीत	नहीं	-	-	सरकार द्वारा अधिसूचित, हालांकि, संग्रहण किए जाने वाले मनोरंजन शुल्क के लिए दरें अधिसूचित नहीं की गई। हरियाणा नगरपालिका मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 2019
4	पेशे पर कर	अनुद्गृहीत	नहीं	धारा-87 (2ए)	धारा-70 (1) (i)	सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं
5	विकास कर	अनुद्गृहीत	नहीं	धारा-87 (2सी)	धारा-70 (1) (viiiडी)	सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं
6	वाहन और पशु पर कर	अनुद्गृहीत	नहीं	धारा-87 (2बी)	धारा-70 (1) (ii और iii)	सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं
7	शो टैक्स	अनुद्गृहीत	नहीं	धारा-87 (2डी)	धारा-70 (1) (वी)	सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं
8	टोल टैक्स	अनुद्गृहीत	नहीं	धारा-87 (2एफ)	धारा-70 (1) (vi)	सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं
9	स्वच्छता कर	अनुद्गृहीत	नहीं	धारा-87 (2एफ)	धारा-70 (1) (viiiबी)	सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं
10	नौका कर	अनुद्गृहीत	नहीं	धारा-87 (2एफ)	धारा-70 (1) (सात)	सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं
कर-भिन्न राजस्व						
1	भूमि का किराया/पट्टा राशि	उद्गृहीत	हां	धारा-327 (ए-आई) और (बी)	-	
2	विज्ञापन अनुमति फीस	नगर निगमों और परिषदों में आंशिक रूप से उद्गृहीत। नगरपालिका में अनुद्गृहीत	नहीं	धारा-122	धारा 200 (पी) और हरियाणा नगरपालिकाओं बाहरी विज्ञापन नीति, 2010	हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम-2018

क्र. सं.	राजस्व स्रोत	नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में उदग्रहण की स्थिति	क्या शहरी स्थानीय निकाय को स्वतंत्र रूप से कर/शुल्क/ प्रभार की दर तय करने का अधिकार है (हां या नहीं)	अधिनियम और नियमों के अनुसार प्रावधान		
				हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973	राज्य सरकार के आदेश और परिपत्र का संदर्भ
3	व्यापार लाइसेंस फीस	नगर निगमों उद्गृहीत	हां	धारा-330, 331, 335 और 336	-	
4	व्यापार लाइसेंस फीस (खतरनाक और आपत्तिजनक व्यापार)	नगर परिषदों और नगरपालिकाओं में उद्गृहीत	नहीं	-	धारा-128	हरियाणा नगरपालिका (खतरनाक और आक्रामक व्यापार) उप-नियम 1982 और उप-नियम संशोधन 1997
5	संवीक्षा/भवन निर्माण आवेदन फीस	उद्गृहीत	नहीं			हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017
6	विकास फीस/ प्रभार	उद्गृहीत	नहीं	-	-	हरियाणा नागरिक सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं का प्रबंधन। न्यून नगरपालिका क्षेत्र अधिनियम-2016
7	मोबाइल टावर फीस	नगर निगमों और नगर परिषदों में उद्गृहीत। नगरपालिकाओं में अनुद्गृहीत	नहीं	-	-	हरियाणा नगर निगम (संचार और कनेक्टिविटी उप-नियम-2013 और हरियाणा नगर (संचार और कनेक्टिविटी मूलभूत संरचना संशोधन उप-नियम-2013)
8	केबल बिछाने के लिए (सड़क कट प्रभार/सड़क क्षति वसूली शुल्क)	नगर निगमों और नगर परिषदों में उद्गृहीत। नगरपालिकाओं में अनुद्गृहीत	नहीं	-	-	हरियाणा नगर निगम (संचार और कनेक्टिविटी उप-नियम-2013 और एचएम (संचार और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर संशोधन उप-नियम-2013)
9	कुत्ता पंजीकरण प्रभार	पंचकुला एवं थानेसर में उद्गृहीत	नहीं	धारा-311	-	हरियाणा नगर निगम उप-नियम 2008 (कुत्तों का पंजीकरण और उचित नियंत्रण) और हरियाणा नगर उप-नियम 2005 (कुत्तों का पंजीकरण और उचित नियंत्रण)
10	जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रभार	उद्गृहीत	नहीं	-	-	हरियाणा जन्म और मृत्यु का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 1969 और हरियाणा जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम 2002 के अनुसार

क्र. सं.	राजस्व स्रोत	नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में उदग्रहण की स्थिति	क्या शहरी स्थानीय निकाय को स्वतंत्र रूप से कर/शुल्क/ प्रभार की दर तय करने का अधिकार है (हां या नहीं)	अधिनियम और नियमों के अनुसार प्रावधान		
				हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973	राज्य सरकार के आदेश और परिपत्र का संदर्भ
11	विवाह प्रपत्र/प्रमाण-पत्र प्रभार	उद्गृहीत	नहीं	-	-	हरियाणा विवाह का अनिवार्य पंजीकरण -2008 के अनुसार
12	तहबाजारी फीस/किराया फीस	नगर निगम, पंचकुला और 9 नगरपालिकाओं को छोड़कर नमूना-जांच किए गए 5 शहरी स्थानीय निकाय	हां	धारा-327 (ए-आई. और ii)		हरियाणा नगरपालिका (टैंट मालिकों को लाइसेंस देना) उप-नियम 1999
13	पार्किंग फीस	अनुद्गृहीत		धारा-327 (ए-आई) और (बी)	-	
14	स्लाटर फीस	अनुद्गृहीत		धारा-327 (ए-iv)		हरियाणा नगरपालिका (वध गृह का विनियमन) उप-नियम 1977
15	अनधिकृत निर्माण के लिए प्रभार	उद्गृहीत	नहीं		धारा-203-ए	राज्य सरकार अधिसूचना 19/4/2012--6सी-1 दिनांक 26-06 2018 हरियाणा नगरपालिका (अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के लिए संरचना शुल्क का प्रभार) नियम 2003
16	बिजली फीस	अनुद्गृहीत	नहीं	धारा-88 (iv)	धारा-70 (1) (xi)	
17	संपत्ति कर के बदले सेवा शुल्क		नहीं	धारा-92	-	माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 19-11-2009 और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15/17-12-2009

परिशिष्ट 6.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.2.1.2; पृष्ठ 58)

बजट बनाने की प्रक्रिया तैयार करने से अनुमोदन तक

शहर	द्वारा प्रस्तावित बजट	द्वारा स्वीकृत बजट	प्रति व्यक्ति बजट (₹)
पंचकुला	निगम का सदन	राज्य सरकार	2,617
अंबाला	वित्त एवं अनुबंध समिति निगम का सदन	राज्य सरकार	3,580
करनाल	निगम का सदन	राज्य सरकार	3,569
यमुनानगर	निगम का सदन	राज्य सरकार	1,527
कैथल	परिषद का सदन उपायुक्त	मंडल आयुक्त	1,730
थानेसर	परिषद का सदन उपायुक्त	मंडल आयुक्त	1,581
नारायणगढ़	समिति का सदन	मंडल आयुक्त	1,987
तरावड़ी	समिति का सदन	मंडल आयुक्त	2,380
असंध	समिति का सदन	मंडल आयुक्त	1,931
घरौंडा	समिति का सदन	मंडल आयुक्त	2,321
रादौर	समिति का सदन	मंडल आयुक्त	1,390
पेहोवा	समिति का सदन	मंडल आयुक्त	1,794
पुंडरी	समिति का सदन	मंडल आयुक्त	1,081
चीका	समिति का सदन	मंडल आयुक्त	2,422
शाहबाद	समिति का सदन	मंडल आयुक्त	1,658

परिशिष्ट 6.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.2.2 पृष्ठ 59)

शहरी स्थानीय निकायों की प्रत्येक श्रेणी में बजट में भिन्नता दर्शाने वाली विवरणी

राशि: ₹ करोड़ में

नगर निगम, पंचकुला										
वर्ष	बजट			वास्तविक				भिन्नता (प्रतिशत)		
	आय	राजस्व व्यय	विकास व्यय	अनुदान	आय	राजस्व व्यय	विकास व्यय#	आय	राजस्व व्यय	विकास व्यय
	ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच = (ई-ए)/ई *100	आई = (एफ-बी)/एफ *100	जे = (जी-सी)/सी *100
2015-16	76.81	31.80	44.00	27.46	44.97	26.15	20.36	-41.45	-17.77	-53.73
2016-17	85.77	34.88	48.80	37.49	52.54	29.64	48.16	-38.74	-15.02	-1.31
2017-18	89.42	45.56	56.67	68.24	61.85	41.11	73.04	-30.83	-9.77	28.89
2018-19	98.92	48.56	61.67	36.79	75.95	58.55	100.40	-23.22	20.57	62.80
2019-20	123.15	64.48	64.91	56.81	50.42	61.33	40.83	-59.06	-4.89	-37.10
नगर परिषद, कैथल										
वर्ष	बजट			वास्तविक				भिन्नता (प्रतिशत)		
	आय	राजस्व व्यय	विकास व्यय	अनुदान	आय	राजस्व व्यय	विकास व्यय	आय	राजस्व व्यय	विकास व्यय
2015-16	36.98	19.42	15.05	15.62	12.80	12.29	16.32	-65.39	-36.71	8.44
2016-17	29.99	20.46	8.90	24.59	13.81	12.34	19.60	-53.95	-39.69	120.22
2017-18	37.12	27.65	8.90	63.47	14.57	14.04	15.80	-60.75	-49.22	77.53
2018-19	37.12	30.22	6.90	35.25	34.16	18.05	29.24	-7.97	-40.27	323.77
2019-20	31.91	26.44	6.00	63.85	14.16	24.20	58.05	-55.63	-8.47	867.50
नगरपालिका, चीका										
वर्ष	बजट			वास्तविक				भिन्नता (प्रतिशत)		
	आय	राजस्व व्यय	विकास व्यय	अनुदान	आय	राजस्व व्यय	विकास व्यय	आय	राजस्व व्यय	विकास व्यय
2015-16	11.41	6.06	5.31	5.74	5.83	4.05	6.13	-48.90	-33.17	15.44
2016-17	11.65	6.84	4.80	14.97	5.25	3.82	11.61	-54.94	-44.15	141.88
2017-18	11.96	7.86	3.74	10.34	6.49	5.29	10.31	-45.74	-32.70	175.67
2018-19	12.15	9.29	2.80	4.97	6.08	4.27	2.30	-49.96	-54.04	-17.86
2019-20	11.85	9.41	2.80	10.66	5.54	5.69	4.93	-53.25	-39.53	76.07

#: विकास व्यय में पूंजीगत व्यय शामिल है